क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

(07-ई0सी0) कनफिसकेशन वाद सं0-13/2019 राज्य बनाम प्रदीप कुमार

(मुरलीगंज थाना कांड सं0-462/2018, दिनांक 24-12-2018)

–: आदेश :–

15.3.19

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-168, दिनांक 31-01-2019 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा-6(ए)(बी) के अन्तर्गत मुरलीगंज थाना कांड सं0-462/2018, दिनांक 24-12-2018 में जप्त जप्त सामग्रियाँ यथा अरवा चावल-184 बोरा(110.40 क्वी0) एवं धान-203 बोरा (81.20 क्वी0) तथा उपयोग में लाया गया वाहन ट्रक निबंधन सं0-BR-43G-3787 को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता ने अपना पक्ष विस्तार से रखा। रखे गए पक्ष इस प्रकार हैं:-

प्रतिवादी प्रदीप साह की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी किसी कानुन का दुरूपयोग नहीं किया है और प्रतिवादी के विरूद्ध कनफिसकेशन का वाद चलने लायक नहीं है। शंका के आधार पर मामला थाना में दर्ज किया गया है। जी.एस.टी निबंधनधारी प्रतिवादी की पत्नी है, जो सरकार को कर चुकता करती है। प्रतिवादी खाद्यान्न खरीद-बिक्री का व्यापार करता है। धान एवं चावल खरीद-बिक्री पर सरकारी स्तर से कोई रोक नहीं है और न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रण सूची में रखा गया है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा-03 के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जप्त अरवा चावल को अनुदानित अरवा चावल के रूप में सिद्ध करने हेतु कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य दर्ज प्राथमिकी के साथ संलग्न नहीं किया गया है। अनुदानित खाद्यान्न के बोरा में 50 किलोग्राम ही खाद्यान्न रहता है और वह भी मशीन से सिलाई किया हुआ रहता है, जबकि जप्त खाद्यान्न का बोरा हाथ का सिलाई किया हुआ है और उसमें लगभग 60 किलोग्राम अनाज है। निरीक्षी पदाधिकारी या अनुसंधानकर्त्ता द्वारा जप्त खाद्यान्न अनुदानित खाद्यान्न साबित नहीं कर पाए हैं। जब धान एवं चावल पर सरकार द्वारा खुले बाजार में खरीदने/बिक्री करने की अनुमति प्राप्त है और जप्त खाद्यान्न अनुदानित है अथवा नहीं को सिद्ध नहीं कर सके हैं, तो ऐसी स्थिति में जप्त खाद्यान्न यथा धान एवं चावल प्रतिवादी के पक्ष में विमुक्त किया जाय।

उपस्थित विज्ञ विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि प्रतिवादी धान एवं अरवा चावल अपना बेचा रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि धान एवं अरवा चावल अनुदानित नहीं है। इनका आरोप है कि निरीक्षी पदाधिकारी एवं अनुसंधानकर्त्ता द्वारा जप्त खाद्यान्न को अनुदानित साबित नहीं कर सके हैं। इसका प्रतिकार करते हुए इनका कहना है कि दर्ज प्राथमिकी में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि अरवा चावल भारतीय खाद्य निगम के कुछ बोरे में एवं अन्य जूट के बोरे में है। सभी बोरे हाथ से सुआ के द्वारा सुतली से सिलाई किया गया है। हाथ से सिलाई करने से यह प्रदर्शित नहीं करता है कि उसमें रखा धान या चावल अनुदानित नहीं है। सबूत को छुपाने का असफल प्रयास माना जायेगा। चावल का जाँच करने पर प्रथम दृष्टया अनुदानित पाया गया है। यह बात सही है कि सरकार द्वारा खुले बाजार में धान/ चावल खरीद-बिक्री पर कोई रोक नहीं है। चूँकि दर्ज प्राथमिकी में जप्त अरवा चावल को अनुदानित बताया गया है। जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए जप्त अरवा चावल को यथावत रखते हुए धान को विपक्षी के पक्ष में विमुक्त किया जा सकता है।

अतएव उभय पक्षों का पक्ष सुनने के उपरान्त विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा दिए गए तर्क संतुष्ट होकर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि धान को आवश्यक वस्तु अधिनियम अनुसूची-1 से हटा दिया गया है और खुले बाजार में खरीद-बिक्री करने पर कोई रोक नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में प्रावधान के अनुसार जप्त धान के विरूद्ध कनफिसकेशन का वाद चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव प्रतिवादी की याचना को स्वीकार करते हुए तत्काल केवल जप्त धान प्रतिवादी के पक्ष में विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। जप्त अरवा चावल एवं उपयोग में लाए गए ट्रक के विरूद्ध कनफिसकेशन की कार्यवाही चलती रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है

कि वे जिन्मेनामा श्री मुकेश कुमार प्रोपराईटर जय बाबा बासुकीनाथ इन्टर प्राईजेज, सा0 वार्ड नं0-1 नगर पंचायत मुरलीगंज से 203 बोरा (प्रत्येक 40 किलोग्राम) कुल वनज 81.20 क्वी0 प्राप्त क प्रतिवादी श्री प्रदीप कुमार पे0 श्री युगेश्वर साह, सा0-मधुबन, थाना मधेपुरा(भर्राही ओ0पी0), जिल मधेपुरा को उचित पहचान पर हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। श्री कुमार से प्राप्ति रसीद प्राप्त क उसकी एक प्रति न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जप्त अरवा चावल एवं उपयोग में लाए गए ट्रक के संबंध में अगली सुनवाइ 19-03-2019 को किया जाऐगा। उभय पक्ष उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज/ विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा श्री सुशील कुमार/ प्रतिवादी को भेजें तथा एक प्रति मधेपुरा के वेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

5/3/19

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0- 203 /न्या0, मधेपुरा, दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपिः श्री प्रदीप साह, पिता श्री युगेश्वर साह, सा0-मधुबन, थाना-मधेपुरा(भर्राही ओ0पी0) जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सुचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज/थानाध्यक्ष, मुरलीगंज/विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा श्री सुशील कुमार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि मधेपुरा।
5/3/19